राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : कुलदीप, तहसीलदार

मिसल संख्या : 15/2018

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 28.05.2018 निर्णय दिनांक : 23/12/2020

राजस्थान सरकार बनाम मालाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट नि0 मांगलोदी

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सरगौठ द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मालाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी मांगलोदी ने ग्राम मांगलोदी के खसरा नम्बर 49 व 60 कुल किता 2 रकबा 28.88 हैक्टर में से रकबा 0.44 हैक्टर किस्म गै.मु. खारड़ा व चाही2 भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से बाड़ लगाकर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्रति घर पर चस्पा की गयी। अप्रार्थी अनुपस्थित रहा।

अप्रार्थी अनुपस्थित रहा जिससे उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई अप्रार्थी का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि अप्रार्थी ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है अप्रार्थी को ग्राम मांगलोदी के आराजी राज खसरा नम्बर 49 कुल रकबा 28. 16 हैक्टर किस्म गै. मु. खारड़ा,गौचर भूमि में से रकबा 0.16 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 60 कुल रकबा 0.28 है0 किस्म चाही2,जाव2 भूमि में से 0.28 है0 भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगाान 8.34 का पच्चास गुणा से राशि 417/– अक्षरे चार सौ सतरा रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाई जावे।

मॉंग कायमी रा.ले.स.-4
पृष्ठ संख्या 42
वर्ष 20-21
रा.जुर्माना 417
क.निलामी –
गोचर जुर्माना –
प्र... –
तराले कुचामन सिटी

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। निर्णय आज दिनांक 23/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0
तहसीलदार कुचामन
जिला- नागौर